संख्या–366/VI–I/2006–9(12)2005

प्रेषक,

सन्तोष बडोनी,
अनुसचिव,
उत्तरांचल शासन

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय,
देहरादून

संस्कृति अनुभाग

देहरादून:दिनांक 3–7– 2006

विषय: श्री प्रताप सिंह भण्डारी, ग्राम मण्डार गांव पोस्ट आफिस बग्वाली पोखरी, जिला अल्मोड़ा के सुपुत्र अमर शहीद स्व0 श्री राजेन्द्र सिंह की चिरस्मृति स्थापित करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक संस्कृति निदेशालय के पत्र संख्या–339/ सं0नि0उ0/ तृतीय–44/ 2005–06, दिनांक 30 जून, 2005 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त चिरस्मृति के बाहर दीवारी गेट व स्टैण्डों के निर्माण करने हेतु वित्तीय वर्ष 2006–07 में प्राविधानित धनराशि रू0 38.00 लाख(रूपये अडतिस लाख रूपये मात्र) में से वित्त विभाग टी0ए0सी0 द्वारा औचित्यपूर्ण धनराशि रू0 1.50 लाख (रूपये एक लाख पचास हजार मात्र) निम्नलिखित शर्तों के आधार पर श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं–

1– आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शिडयूल आफ रेट में स्वीकृत नही हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हों, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक है।

2– कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/ मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय एवं सामग्री क्रय करने से पूर्व स्टोर पर्चेज नियमों का पालन कराना सुनिश्चित करें।

3– कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत मार्म है, स्वीकृत मार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

4– एक मुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

5– कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

6– कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली भाँति निरीक्षण उच्च अधिकारियों के साथ अवश्य करा लें। निरीक्षण के पश्चात स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाये।

7– आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गयी हो, उसी मद पर व्यय किया जाय एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

8– निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टैस्टिंग करा ली जाय तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाय।

9– उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग केवल उन्ही मदों में किया जायेगा जिन मदों के लिये यह स्वीकृत किया जा रहा हो। यहाँ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता है, जिसे व्यय करने के लिये बजट मैनुअल या वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों के अधीन करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा। ऐसा व्यय सम्बन्धित अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाना चाहिए। स्वीकृत व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। व्यय करते समय मितव्ययता के सम्बन्ध में समय –समय पर जारी किये गये शासनादेशों में निहित निर्देशों का कडाई से अनुपालन किया जाय।

10- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-11 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2205- कला एवं संस्कृति-00-आयोजनागत-102-कला एवं संस्कृति का सम्वर्द्धन-10-महानुभावों की मूर्ति स्थापना-1091-जिला योजना-25-लघु निर्माण कार्य मानक मद के नामें डाला जायेगा।
11- यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 पत्र संख्या- 269 /वित्त अनुभाग-3/2006, दिनांक 30जून, 2006 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(सन्तोष बडोनी)
अनुसचिव

पृष्टांकन संख्या- VI-I/2006, तददिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
1- निजी सचिव मुख्य सचिव,उत्तरांचल शासन।
2- महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तरांचल, देहरादून।
3- अपर सचिव, नियोजन विभाग, उत्तरांचल शासन।
4- जिलाधिकारी, अल्मोड़ा।
5- वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
6- वित्त अनुभाग-3, उत्तरांचल शासन।
7- श्री एल0एम0पन्त, अपर सचिव,वित्त, उत्तरांचल शासन।
8- एन0आई0सी0, देहरादून सचिवालय।
9- श्री प्रताप सिंह भण्डारी, ग्राम भण्डारगांव, पत्रालय बगवाली पोखर,जिला अल्मोड़ा
10-गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सन्तोष बडोनी)
अनुसचिव

6